

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक : एफ 8(4)आप्रएवंस/आप्र/ 03/21141

दिनांक 15.10.2007

आज्ञा

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 20 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार राज्य प्राधिकारी को अपने कार्यों के निर्वहन एवं उक्त अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने एवं राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी मार्गनिर्देशिका के अनुसार कार्यों का समन्वय करने हेतु एक "राज्य कार्यकारी समिति" का गठन करती है। इस समिति के सदस्य हैं:-

- |   |            |
|---|------------|
| 1. मुख्य सचिव                               | अध्यक्ष    |
| 2. प्रमुख सचिव, आ.प्र. एवं सहायता           | सदस्य सचिव |
| 3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त                  | सदस्य      |
| 4. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा.अभि. विभाग     | सदस्य      |
| 5. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | सदस्य      |

समिति विचारणीय मुद्दों की प्रकृति को देखते हुये अन्य प्रमुख शासन सचिव/सचिव को विशेष आमंत्रित के रूप में बुला सकती है।

ह0

(सी. के. मेथ्यू)  
प्रमुख शासन सचिव  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता